न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5058/2004/अलवर

1. बाबूलाल पुत्र छाजूराम पेशा फोरेस्ट गार्ड मालिक मुताबिक वसीयत कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2. छाजूराम पुत्र रामनिवास जांगडा ब्राहमण(मृत्तक)

2/1 मूलचन्द पुत्र छाजूराम
2/2 बुधालाल पुत्र छाजूराम
2/3 रमेश पुत्र छाजूराम(मृत्तक)
2/3/1 ममतेश पत्नी रमेश
2/3/2 शैलेश पुत्र स्व. रमेशचन्द) नाबालिग जरिये
2/3/3 हिमांशु पुत्र स्व. रमेशचन्द) माता वली ममतेश
2/3/4 मेघा पुत्री स्व रमेशचन्द) पत्नी रमेश।
2/4 रामकिशन पुत्र छाजूराम
2/5 बनवारी पुत्र छाजूराम
2/6 शान्तिदेवी पत्नी छाजूराम
3. रामस्वरूप पुत्र रामनिवास
समस्त ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

––अपीलांट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र कल्याण
2. प्रभूदयाल पुत्र कल्याण
3. कैलाश पुत्र कल्याण (फौत)(नाम तर्क आदेश दि013–04–2009 द्वारा)
4. प्रहलाद पुत्र कल्याण
   समस्त जाति जांगडा ब्राहमण साकिन टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़।

––रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री जी.एस. चारण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

दिनांक : 03–06–2025

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 141/2004 में पारित निर्णय दिनांक 10–09–2004 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पो01 लगायत 4/वादीगण ने एक दावा बाबत् इस्तकार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27–09–1999 को वादी का दावा डिक्री कर दिया। वादीगण द्वारा दावे में अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया केवल सरकार को पक्षकार बनाते हुए दावा डिक्री करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 10–09–2004 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि रामनिवास के चार लड़के थे कल्याण, छाजूराम, रामस्वरूप व कन्हैया। चारों भाईयों के द्वारा सन् 1963 में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया जाकर चारों के नाम आवंटन आदेश जारी हुआ। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व इन्तकाल में रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा चारों का नाम दर्ज न करके कल्याण वगैरा दर्ज कर दिया। इसी अनुसार उक्त आराजी पर चारों भाई काबिज काश्त चले आ रहे हैं। कन्हैया ने अपने जीवनकाल में बाबूलाल अपीलांट्स को जरिये वसीयत वारिस बना लिया है। वादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाते हुए दावा किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं करके वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे को डिक्री कर दिया तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। जबकि वादीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने तस्दीक भी कर दिया था, जिसमें वादीगण/रेस्पो0 ने अपीलांट्स की बात को सही होना मान लिया था, तो फिर किस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई, इस बाबत अपने निर्णय में कोई अंकन नहीं किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर जो दावा दायर किया गया था वह कानूनन मेन्टेनेबल ही नहीं था। क्योंकि राजस्थान सरकार के

विरूद्ध वाद कानूनन दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त आराजी में राजस्थान सरकार का आवंटन के बाद कोई दखल व अधिकार नहीं था तथा ना ही सरकार को धारा 80 सीपीसी का कोई नोटिस ही दिया गया, जो कि आदेशात्मक प्रोविजन है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2004 एवं दिनांक 27–09–1999 निरस्त किये जावें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5– बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– वादीगण/रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं जो कि वादीगण के पिता कल्याण को सन् 1963 में आवंटित हुई थी। वादीगण के पिता का देहान्त होने के पश्चात विरासतन इंतकाल वादीगण के नाम हो चुका है। हाल बन्दोबस्त में कल्याण आदि में जो ''आदि'' शब्द दर्ज हुआ है, वह गलत है तथा ''गैर'' शब्द जो दर्ज किया गया है, वह दुरूस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में दो तनकियात कायम की एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज कर उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त तनकी संख्या 1 को वादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने तथा हाल रिकार्ड में अंकित ''आदि'' शब्द को राजस्व रिकार्ड से तर्क किये जाने के आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–1999 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2004 द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने तस्दीक भी कर दिया था, जिसमें वादीगण/रेस्पो0 ने अपीलांट्स की बात को सही होना मान लिया था, तो फिर किस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई, इस बाबत कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया। इस संबंध में हमने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 10–09–2004 का अवलोकन किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि रेस्पो0 वादीगण रामलाल, पी.डब्ल्यू.–1 नारायण, पी.डब्ल्यू.–2 गोकल, पी.डब्ल्यू.–3 लालाराम, पटवारी हल्का ने अपने बयानों में भूमि कल्याण को आवंटित होने तथा कब्जा रेस्पो0/वादीगण होने का कथन किया है, ऐसे में अब राजीनामा में विवादित आराजी में हक, हिस्सा तथा कब्जा अपीलांट्स का कहना विरोधाभासी है। वादीगण/रेस्पो0 अपने बयानों में किये गये कथनों से estopped हैं। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अभिमत से पूर्णतया सहमत हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा अपने अपील मीमों में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है किन्तु स्वयं को खातेदार घोषित करवाने बाबत कोई रिलीफ नहीं चाही है, जबकि राजीनामा में विवादित आराजी के खातेदार घोषित करने बाबत रिलीफ चाही है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट्स को भी आवंटन होने तथा उनका कब्जा काश्त होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने तथा वादीगण/रेस्पो0 अपने बयानों में किये गये कथनों से estopped होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए अपीलांट्स की अपील को खारिज करने में किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन के साथ राजीनामें के आधार पर अपील का स्वीकार योग्य न होना बताया है, अतः अपीलांट्स का यह पक्ष निरस्तनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इसका निर्णय में उल्लेख नहीं किया है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

7– उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–09–2004 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–1999 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य